संख्या- 1624 /43-2-2010

प्रेषक,

नवतेज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक:: 18 अक्टूबर, 2010

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में किये गये कार्यो का विवरण वेबसाइट पर डालने के संबंध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(ए) में यह प्राविधान है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से ऐसी रीति से सूचीपत्रित और अनुक्रमाणिका बद्ध करेगा और उन्हें इस रूप में रखेगा जो इस अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने हेतु अधिक से अधिक सुविधाजनक हो। इस प्रकार अधिनियम के प्राविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये अभिलेखों का समुचित प्रबन्धन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी से यह भी अपेक्षित है कि वे लोगों को सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक सूचना उपलब्ध करायें ताकि लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिये अधिनियम का कम से कम प्रयोग करना पड़े। इंटरनेट सम्प्रेषण के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग तथा अपने नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरणों में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-4 में उल्लिखित समस्त जानकारियों/विवरण के साथ-साथ सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में उठाये गये कदमों एवं महत्वपूर्ण कार्यो का विवरण भी अपनी वेबसाइट पर डालने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवतेज सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि सचिव, राज्य सूचना आयोग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(रामचन्द्र यादव)
अनु सचिव।